# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

## अपील संख्या : 2024/168

1. रामलाल आत्मज धन्नालाल जाति लश्करी
2. राधेश्याम आत्मज हेमराज जाति लश्करी
3. प्रभूलाल आत्मज रघुनाथ जाति लश्करी
4. पुष्पा बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी भंवरलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज.

––अपीलांटगण

**बनाम**

1. मोडूलाल आत्मज रामनाथ जाति लश्करी निवासी गायत्री विहार द्वीतीय बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजेन्द्र आत्मज रामनाथ जाति लश्करी निवासी गांधी कॉलोनी के आगे चन्द्रेसल रोड कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की आरे से।

**निर्णय** दिनांकः 24.01.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 66/2021 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 272/168 की 0.81 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के भ्राता जैलाल आत्मज धन्नालाल के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जिस पर जैलाल की मृत्यु की बाद प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी गण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण के भ्राता जैलाल की मृत्यु के पश्चात् जैलाल के अन्य भ्राता रामनाथ के पुत्र

प्रतिवादी नं0 2 ने बदनियती से जैलाल का इंतकाल नं0 102 दिनांक 6–5–2004 अपने नाम खुलवा लिया जिसकी अपीले होने पर न्यायालय अति० सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा उक्त इंतकाल नं० 102 खारिज कर दिया। उपरोक्त भूमि से प्रतिपक्षी नं0 2 का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण ही जैलाल जी के विधिक उत्तराधिकारी व कायम मुकामान है जिनका कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा है किन्तु प्रतिपक्षी न० 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा ताकतवर व्यक्ति होने के कारण प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने दे रहा है। प्रतिपक्षी नं0 2 दिनांक 20–6–2021 को वादग्रस्त भूमि पर आया तथा प्रार्थीगण को काश्त न करने व कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करने की धमकी दी जिस पर वाद प्रस्तुत किया गया। किन्तु इसके बावजूद भी दिनांक 7–7–2021 को प्रार्थीगण खेत पर गये तो प्रतिपक्षी नं० 2 ने प्रार्थीगण को भगा दिया तथा भूमि को हांकने से मना कर दिया व प्रार्थीगण के कब्जे में व्यवधान पैदा किया गया जबकि प्रतिपक्षी न० 2 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 2 ताकतवर आदमी है ओर प्रार्थीगण कमजोर तबके के आदमी है इस कारण अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है। यदि उपरोक्त भूमि को रिसीवर के कब्जे में नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकेगी व प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थीगण का दावा करना ही बेकार हो जावेगा । प्रार्थीगण का केस प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा विवादित भूमि ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 272/168 की 0.81 हेक्टर भूमि पर तहसीलदार साहब दीगोद को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2024 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्ण दिनांक 11.07.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थना–पत्र धारा 212 रा०टी०एक्ट की प्रार्थना का अवलोकन किये निर्णय पारित किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं कानूनी नजीरो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि ग्राम ककरावदा स्थित आराजी खसरा नम्बर 272/168 रकबा 0.81 हैक्टर आराजी जयलाल आत्मज धन्नालाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जो अपीलान्ट के भाई थे। जयलाल की मृत्यु होने के बाद से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट द्वारा इंतकाल नम्बर 102 दिनांक 06.05.2004 से इंतकाल खुलवाने के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। उक्त तथ्य अपीलान्ट द्वारा कानूनी साक्ष्यो से सिद्ध कर देने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रकरण ठोस तथ्यो पर आधारित होने व सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में होने के बावजूद भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट की कब्जा शुदा आराजी पर रेस्पोडेन्ट नाम के आधार पर हस्तक्षेप करता है और मौके पर मारा मारी नही हो इस कारण रिसीवर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, इस बाबत अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत कर देने के बावजूद भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही तथा सकारण आदेश प्रदान किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण था, तथा सुविधा का सन्तुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में था, जिससे प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.07.2024 में प्रार्थी अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया

है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में निवदेन किया कि प्रश्गनत खसरा नम्बर 272/188 रकबा 0.61 हैक्टेयर भूमि पूर्व में जैलाल पुत्र धन्नालाल जाति लश्करी को आवंटित हुई थी। आवंटन पश्चात उक्त भूमि जैलाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हो गई। जैलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी संख्या 2 को गोदपुत्र रख लिया तथा अपने पास ही रखा। जैलाल जी की सेवा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 2 द्वारा ही की गई। जैलाल जी की प्रश्नगत आवंटनशुदा भूमि पर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ही काश्त करता चहा आ रहा है। जैलाल की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम इन्तकाल संख्या 102 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया। वर्तमान में भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण द्वारा नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 06.05.2004 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में अपील पेश की गई जो खारिज की जा चुकी है। तत्पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के निर्णय के विरूद्ध अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई तथा वर्तमान में अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण अपीलांटगण की पुश्तैनी भूमि नहीं है। वादग्रस्त भूमि जैलाल की आवंटनशुदा भूमि है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी को हड़प करना चाहते है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पूर्व से ही अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील एवं वाद मेन्टेनेबल नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने खाते की भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी अपीलांटगण का केस प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 272/168 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र जैलाल की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 06.05.2004 में मृतक जैलाल के स्थान पर राजेन्द्र कुमार मुतबन्ना जैलाल का नाम दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। अतः पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण का कथन है कि वह जैलाल के विधिक वारिसान है तथा जैलाल की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है अतः प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि नहीं होकर जैलाल की आवंटनशुदा भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में रिसीवर नियुक्त किए जाने का आनुतोष चाहा गया है। हमारे मत में रिसीवर नियुक्त किया जाना कठोरतम उपचार है तथा रिसीवर नियुक्त किए जाने हेतु वादग्रस्त भूमि इन मीडियो होना आवश्यक है। साथ ही कानूनन रिसीवर नियुक्त किया जाना उन्ही परिस्थितियों में उचित है जब वादग्रस्त भूमि के वेस्ट, डेमेज एवं एलिनियट होने की संभावना हो। जहां तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त का प्रश्न है, इसके सम्बंध में उभयपक्षकारान द्वारा कब्जा काश्त होने के सम्बंध में अपने–अपने तर्क प्रस्तुत किए है परन्तु उभयपक्षकारान की ओर से कब्जा काश्त होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में गैर खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। साथ ही प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा विचारण न्यायालय में रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिससे भी यह प्रकट होता है कि कब्जा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का होना प्रकट होता है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के कब्जे काश्त होने के सम्बंध कोई ठोस दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः हमारे मत में वादग्रस्त भूमि का इन मीडियो होना प्रकट नहीं होता है। जहां तक वादग्रस्त भूमि के वेस्ट, डेमेज एवं एलीनियेट किए जाने का प्रश्न है, चूंकि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है अतः गैर खातेदारी में दर्ज भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा द्वारा किसी प्रकार से हस्तांतरित किया जाना भी संभव नहीं है। साथ ही अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससेः वादग्रस्त भूमि के वेस्ट, डेमेज एवं एलीनियेट होने की संभावना परिलक्षित होती हो। अतः हमारे मत में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत रिसीवर नियुक्ति के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किए जाने का कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2024 में रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं मानकर प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा रिसीवर नियुक्त किए जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना

उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 66/2021 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2024 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा